तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6.6.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. पर लिये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रूक-रूक कर आवाजे दिलाई के बाद भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. पर लिया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:39 IST
Reason: SelfAttested

अंकन 4 श्री [illegible] [illegible] कैरिया तहसील माण्डल (भील.)
(हस्तांतरित प्र. [illegible])

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 06.06.24

आदेश

[illegible] की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसका खाता / संयुक्त खाता [illegible] कुल किता 10 रकबा 3.3259 हैक्टेयर स्थित है [illegible] भाग के मध्य आराजी [illegible] के सीमा चिन्ह नहीं होने से [illegible] सीमा सम्बंधी विवाद [illegible] जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान [illegible] जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.12.23 को [illegible] किया जाकर [illegible] प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं [illegible] काश्त [illegible] को होने से पत्थरगढ़ी [illegible] है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्य [illegible] की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया [illegible] कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी [illegible] कुल किता 10 रकबा 3.3259 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ [illegible] की [illegible] पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आसीन्द 300 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् को नोटिस [illegible] स्थिति को बनाये रखते हुए [illegible] बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। [illegible] नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी [illegible] नियमानुसार पत्थरगढ़ी [illegible] जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:53:39 IST
Reason: SelfAttested